



-प्रेस नोट-

दिनांक 08.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के मुकदमें में वांछित 02 गौकश अभियुक्तों को घायलवस्था में किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .32 बोर, गोकशी के उपकरण, 01 बिना नम्बर मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 07/08.02.2026 को रात्रि में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा बडी नहर पटरी से हबीबगढ जाने वाले कच्चे रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, तभी ग्राम हबीबगढ की तरफ से एक मोटर साईकिल पर 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोकने का प्रयास किया संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस को चैकिंग करते देख अपनी मोटर साईकिल पीछे मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो थोड़ी दूर जाकर मोटरसाईकिल हडबडाहट में गिर गयी। पुलिस टीम को पास आता देख संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 01 बदमाश मौके से भाग गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान 1.नासिर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम धलापड़ा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2.शोबान पुत्र शमशाद निवासी हमजा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर मूल निवासी ग्राम धलापड़ा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। घायल बदमाशों/गौकशों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार घायल गौकश अभियुक्तगण थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2026 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के वांछित अभियुक्तगण है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .32 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 बिना नम्बर मोटरसाईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 68/26 धारा 109(1)/317(2)/61 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नासिर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम धलापड़ा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. शोबान पुत्र शमशाद निवासी हमजा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर मूल निवासी ग्राम धलापड़ा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा मय 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 तमंचा मय 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- गोकशी के उपकरण
- 01 बिना नम्बर मोटरसाईकिल बरामद

अभियुक्त नासिर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 02/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट ,3/5ए/8 गो हत्या नि0 अधि0 ,11 पशु क्रू0 अधि0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 385/2024 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 64/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 68/26 धारा 61(2)/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शोबान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 64/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 68/26 धारा 61(2)/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलबीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. हैड का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. हैड का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. हैड का0 1081 रूपेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. कां0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9. कां0 1806 योगेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.02.2026

-प्रेस नोट-

**सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से
रेत से भरा हुआ, 01 ट्रैक्टर/ट्राली सीज**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर सहारनपुर तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.02.2026 की रात्रि में चौकी शाहजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 1 ट्रैक्टर मय ट्राली को चेक किया गया जो अवैध रूप से रेत बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहा था। उक्त वाहन को नियमानुसार सीज किया गया है।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखना है।

विवरण –

- 01 ट्रैक्टर-ट्राली (महेन्द्रा) रजि0न0 – UP 11 CA 0112

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।
2. राजस्व टीम नकुड/सहारनपुर
3. मय पुलिस टीम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08.02.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध खनन बालू से भरे हुए ,02 ट्रक 18 टायरा किये गये सीज-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.02.2026 की रात्रि में पुलिस चौकी शाहाजहाँपुर में संयुक्त चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 02 ट्रक अवैध रूप से रेत से भरे हुये बिना किसी वैध प्रपत्र को नियमानुसार सीज किया गया है।

अवैध खनन सामग्री वाहनो का विवरण –

1. ट्रक 18 टायरा रजि0 न0 – HR 58 C 9498
2. ट्रक 18 टायरा रजि0 न0 – HR 58 E 9498

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
2. राजस्व टीम नकुड सहारनपुर
3. पुलिस टीम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:08.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को
मात्र घण्टे 12 में गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 07.02.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष का घर से कस्बा चिलकाना सामान लेने के लिए जाना व वापस ने आने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 36/2026 धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए नाबालिग की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.02.2026 को नाबालिग को अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 12 घण्टे के अन्दर ही ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली से सकुशल बरामद कर प्रकाश में आये अभियुक्त मनव्वर पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जिला शामली से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87,65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

मनव्वर पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम पावटी कलाँ थाना कैराना जनपद शामली।

बरामद करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 3- है0का0 436 धर्मसिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 4- का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 5- म0है0का0 174 राखी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक 08-02-2026

-प्रेस नोट-

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व लूट, चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी आदि घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.02.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र रमेश निवासी भिक्कनपुर थाना नांगल सहारनपुर को सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे पर ग्राम फतेहपुर कला को जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई एक मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 46/26 धारा 317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने शौक पूरने करने के लिए मो0सा0 चोरी करता हूँ तथा उसे किसी राह चलते व्यक्ति को बेंच कर उससे जो भी पैसे मिलते हैं, उसी से मैं अपने शौक पूरे करता हूँ। यह मो0सा0 मैंने दिनांक 04.02.26 को साजन बारात घर थाना क्षेत्र सदर बाजार से चोरी की थी। पुलिस से बचने के लिए मैंने इसके आगे व पीछे यह फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी और इसके चैचिस नम्बर को मिटा दिया था और दूसरा गलत चैचिस नम्बर डाल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरुण कुमार पुत्र रमेश नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 192/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 46/26 धारा 317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. का0 1851 पंकज कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।



दिनांक 08.02.2026

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 01.02.2026 को वादी फारुख पुत्र हनीफ निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल पता ग्राम तीतपाल उर्फ तेल्लीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नसीरु पुत्र मीरबाज 2.बाबर 3. मुकर्रम 4. शाकिर पुत्रगण नसीरु निवासीगण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे आहाद पुत्र ताहिर निवासी तीतपाल उर्फ तेल्लीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर के साथ गाली गलोज कर मारपीट करना शोरगुल की आवाज पर बीच बचाव के लिए वादी का लड़का जुनैद व भतीजी फरहमत के आने पर उनके साथ भी मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 36/2026 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 महेश सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 02.02.2026 को अस्पताल में उपचार के दौरान वादी के भतीजे आहाद की मृत्यु हो जाने के उपरांत मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी व मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 महेश सिंह से थानाध्यक्ष सरसावा द्वारा ग्रहण की गयी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1-गय्यूर पुत्र मीरबाज 2-नवीद पुत्र असलम निवासीगण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया व मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5)/190/191(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 08.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.नसीरुदीन उर्फ नसीरु पुत्र मीरबाज 2 .नवीद पुत्र असलम निवासी गण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा सहारनपुर को ग्राम कुण्डा से ग्राम अगवानहेडा जाने वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नसीरुदीन उर्फ नसीरु पुत्र मीरबाज निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।
2. नवीद पुत्र असलम निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त नसीरुदीन उर्फ नसीरु का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 482/2018 धारा 147, 323, 325, 452 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 79/13 धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 36/2026 धारा 103(1)/115(2)/352/351(2)/3(5)/190/191(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।

अभियुक्त नवीद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 482/2018 धारा 147/323/325/452 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 36/2026 धारा 103(1)/115(2)/352/351(2)/3(5)/190/191(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा सहारनपुर ।
2. हे0का0 831 सोनू ढाका थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा सहारनपुर ।
4. है0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
5. का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।



दिनांक 08-02-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 2000/- रुपये नकद व

घटना मे प्रयुक्त 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2026 को वादिया डा0 रीबा पुण्डीर पत्नी डा0 आदित्य चौहान निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया के क्लीनिक से वादिया के पर्स से नकदी चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/26 धारा 309(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 08.02.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त शाहरूख पुर नजर हसन निवासी ग्राम शास्त्रा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को हिमामपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से वादिया से लूटे गये 2000/- रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया । उपरोक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरूख पुर नजर हसन निवासी ग्राम शास्त्रा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 2000 रुपये (लूटे गये)
- चाकू (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 528/2020 धारा 414,420 भादवि व 41/102 दं0प्र0सं0 थाना नकुड सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 601/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 645/2024 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना गंगोह सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 27/2026 धारा 309(4),317(2) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना नानौता सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर ।
2. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

3. है0का0 1315 राहुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
5. हो0गा0 2030 जीशान खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक 08-02-2026

थाना गंगोह पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0-47/26 धारा 317(2)/317(5)/348/303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 44/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 39/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त **सावन पुत्र पखीराम निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को पशु पैठ चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं व मैं और मेरे तीनों साथी **आकाश, कयूम व हसनैन** (जिनको पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है) मिलकर काफी समय से हरियाणा राज्य, उत्तराखण्ड राज्य व हिमाचल प्रदेश राज्य व आस- पास के जिलों से मोटर साईकिल चोरी करते हैं और मोटर साईकिलों को राह चलते व्यक्ति को सस्ते दामों में बेच देते हैं और जो पैसा बेचने से मिलता है उसे हम सभी लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। इन पैसों से हम अपने अपने शौक पूरा करते हैं। हम सभी नशा करते हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सावन पुत्र पखीराम नि0 ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

- (1) मु0अ0सं0- 39/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0- 44/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0- 47/26 धारा 317(5)/317(2)/348 बीएनएस चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (4) मु0अ0सं0- 189/19 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (5) मु0अ0सं0- 148/22 धारा 307/506 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (6) मु0अ0सं0- 318/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नकुड जनपद सहारनपुर
- (7) मु0अ0सं0- 69/22 धारा 63आब0 अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- (8) मु0अ0सं0-70/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- (9) मु0अ0सं0-116/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री केरन सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
2. उ०नि० आदित्य कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
3. है०का० 564 नितिन त्यागी थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।